न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 541 सन 2019

अनवान :–

1. गिरधारीलाल पुत्र स्व गाडसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. लालसिह पुत्र स्व गाडसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
2. रणजीतसिह पुत्र स्व गाडसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
3. सुनिलसिह पुत्र गणपतसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
4. चिमनसिह पुत्र गणपतसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
5. गुडडी देवी पत्नि गणपतसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
6. सुनिता कंवर पुत्री गणपतसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
7. लिलाकंवर पुत्री गणपतसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
8. सोनूसिह पुत्र स्व पूणसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
9. सरोज पत्नी पूर्णसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
10. नितूबाई पुत्री स्व पूर्णसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
11. निकी कवंर पुत्री स्व पूर्णसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
12. छतु कवंर पत्नी स्व गाडसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
13. जतन कवंर पुत्री स्व गाडसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
14. विमला कवंर पुत्री स्व गाडसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
15. सुशीला कवंर पुत्री स्व गाडसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
16. समुन्द्रसिह पुत्र स्व गाडसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज़

निर्णय दिनांक :– 23/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 317/303 की कुल 34.1620हैक में से 342 हिस्सा भूमि वादी के पिता स्व गाडसिह पुत्र छोगसिह के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा छोगसिह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा छोगसिह के देहान्त होने पर वाद विरासत से वाद भूमि उनके पुत्र गाडसिह के नाम से दर्ज हुई।

गाडसिह पुत्र छोगसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिस उसके पुत्र/पुत्रीया वादी, प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,13 ता 16 व पत्नि प्रतिवादी संख्या 12 है गाडसिह के दो पुत्र गणपतसिह व पूर्णसिह को देहान्त हो गया है मृतक गणपतसिह के पुत्र/पुत्रिया प्रतिवादी संख्या 3 ,4, 6 ,7 पत्नि प्रतिवादी संख्या 5 है मृतक पूर्णसिह के जायज वारिस उसके पुत्र/पुत्रिया/पत्नि प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 है इसप्रकार गाडसिह पुत्र छोगसिह के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है जो गाडसिह पुत्र छोगसिह के नाम से दर्ज भूमि के जायज हकदार है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ,10 ता 15 वादी की बहन/मृतक गणपतसिह की पुत्रिया/पत्नि व पूर्णसिह की पुत्रिया/पत्नि है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयो/पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,9 के पक्ष में किया जा चुका है। तथा समुन्देसिह जो वादी का भाई है को वसीयत से भूमि दी जा चुकी है इसलिये प्रतिवादी संख्या 16 ने भी अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,9 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,9 के हक हिस्सा भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,9 बहिय के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता गाडसिह पुत्र छोगसिह के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसक जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है जो गाडसिह पुत्र छोगसिह के नाम से दर्ज भूमि के जायज हकदार है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 7, 10 ता 16 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,9 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,9 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 17 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 317/303 की कुल 34.1620हैक में से 342 हिस्सा भूमि वादी के पिता स्व गाडसिह पुत्र छोगसिह के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा छोगसिह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा छोगसिह के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र गाडसिह के नाम से दर्ज हुई।

गाडसिह पुत्र छोगसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिस उसके पुत्र/पुत्रीया वादी, प्रतिवादी संख्या 1 ,2 , 13 ता 16 व पत्नि प्रतिवादी संख्या 12 है गाडसिह के दो पुत्र गणपतसिह व पूर्णसिह को देहान्त हो गया है मृतक गणपतसिह के पुत्र/पुत्रिया प्रतिवादी संख्या 3 ,4, 6 ,7 पत्नि प्रतिवादी संख्या 5 है मृतक पूर्णसिह के जायज वारिस उसके पुत्र/पुत्रिया/पत्नि प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 है इसप्रकार गाडसिह पुत्र छोगसिह के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है जो गाडसिह पुत्र छोगसिह के नाम से दर्ज भूमि के जायज हकदार है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ,10 ता 15 वादी की बहन/मृतक गणपतसिह की पुत्रिया/पत्नि व पूर्णसिह की पुत्रिया/पत्नि है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयो/पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,9 के पक्ष में किया जा चुका है। तथा समुन्देसिह जो वादी का भाई है को वसीयत से भूमि दी जा चुकी है इसलिये प्रतिवादी संख्या 16 ने भी अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,9 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,9 के हक हिस्सा भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनागा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निरतारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 317/303 की कुल 34.1620हैक में से 342 हिस्सा भूमि वादी के पिता स्व गाडसिह पुत्र छोगसिह के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि गाडसिह पुत्र छोगसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिस उसके पुत्र/पुत्रीया वादी, प्रतिवादी संख्या 1 ,2 , 13 ता 16 व पत्नि प्रतिवादी संख्या 12 है गाडसिह के दो पुत्र गणपतसिह व पूर्णसिह को देहान्त हो गया है मृतक गणपतसिह के पुत्र/पुत्रिया प्रतिवादी संख्या 3 ,4, 6 ,7 पत्नि प्रतिवादी संख्या 5 है मृतक पूर्णसिह के जायज वारिस उसके पुत्र/पुत्रिया/पत्नि प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 है इसप्रकार गाडसिह पुत्र छोगसिह के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है जो गाडसिह पुत्र छोगसिह के नाम से दर्ज भूमि के जायज हकदार है जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से पूर्णत्या सावित है अर्थात गाडसिह पुत्र छोगसिह के नाम से दर्ज भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 जायज हकदार है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के आधिकारी है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ,10 ता 15 वादी की वहन/मृतक गणपतसिह की पुत्रिया/पत्नि व पूर्णसिह की पुत्रिया/पत्नि है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयो/पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,9 के पक्ष में किया जा चुका है। तथा समुन्देसिह जो वादी का भाई है को वसीयत से भूमि दी जा चुकी है इसलिये प्रतिवादी संख्या 16 ने भी अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,9 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,9 के हक हिस्सा भूमि है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 , 10 ता 16 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 7, 10 ता 16 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर मेधाना के खाता संख्या 317/303 की कुल 34.6120हैक भूमि में सयुक्त तौर से मृतक गाडसिह के नाम 342 हिस्सा भूमि दर्ज है गाडसिह को नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब 3/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 ,4 बहिब 1/5 हिस्सा , प्रतिवादीगण संख्या 8 ,9 बहिब 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलने शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसाल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीव तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. गिरधारीलाल पुत्र स्व गाडसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 लालसिह पुत्र स्व गाडसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
2. रणजीतसिह पुत्र स्व गाडसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
3. सुनिलसिह पुत्र गणपतसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
4. चिमनसिह पुत्र गणपतसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
5. गुडडी देवी पत्नि गणपतसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
6. सुनिता कंवर पुत्री गणपतसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
7. लिलाकंवर पुत्री गणपतसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
8. सोनूसिह पुत्र स्व पूणसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
9. सरोज पत्नी पूर्णसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
10. नितूबाई पुत्री स्व पूर्णसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
11. निकी कवंर पुत्री स्व पूर्णसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
12. छतु कवंर पत्नी स्व गाडसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
13. जतन कवंर पुत्री स्व गाडसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
14. विमला कवंर पुत्री स्व गाडसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
15. सुशीला कवंर पुत्री स्व गाडसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
16. समुन्द्रसिह पुत्र स्व गाडसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 541 सन 2019 निर्णय दिनांक– 23/09/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर मेधाना के खाता संख्या 317/303 की कुल 34.6120हैक भूमि में सयुक्त तौर से मृतक गाडसिह के नाम 342 हिस्सा भूमि दर्ज है गाडसिह को नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 वहिव 3/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 ,4 बहिव 1/5 हिस्सा , प्रतिवादीगण संख्या 8 ,9 वहिव 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

संशोधित पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. गिरधारीसिह पुत्र स्व गाडसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 लालसिह पुत्र स्व गाडसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
2. रणजीतसिह पुत्र स्व गाडसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
3. सुनिलसिह पुत्र गणपतसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
4. चिमनसिह पुत्र गणपतसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
5. गुडडी देवी पत्नि गणपतसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
6. सुनिता कंवर पुत्री गणपतसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
7. लिलाकंवर पुत्री गणपतसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
8. सोनूसिह पुत्र स्व पूणसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
9. सरोज पत्नी पूर्णसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
10. नितूबाई पुत्री स्व पूर्णसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
11. निकी कवंर पुत्री स्व पूर्णसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
12. छतु कवंर पत्नी स्व गाडसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
13. जतन कवंर पुत्री स्व गाडसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
14. विमला कवंर पुत्री स्व गाडसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
15. सुशीला कवंर पुत्री स्व गाडसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
16. समुन्द्रसिह पुत्र स्व गाडसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 541 सन 2019 निर्णय दिनांक–23.09.2020

आज यह प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 317/303 की कुल 34.6120हैक भूमि में सयुक्त तौर से मृतक गाडसिह के नाम 342 हिस्सा भूमि दर्ज है गाडसिह को नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब 3/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 ,4 बहिब 1/5 हिस्सा , प्रतिवादीगण संख्या 8 ,9 बहिब 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

संशोधित पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner